राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)(12)/नियम/डीएलबी/15/92230 जयपुर, दिनांक 20/12/17

परिपत्र

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धार 69-ए एवं इसके अन्तर्गत विरचित Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 अधिसूचना कमांक 7960 दिनांक 15.06.2015 को जारी किये जा चुके है। उक्त नियमो के नियम 8 के अन्तर्गत देय शुल्क अधिसूचना प.8(ग)(15)नियम/डीएलबी/15/11263 दिनांक 24.09.2015 द्वारा निर्धारित की गई है। विभागीय आदेश कमांक प.8(ग)(12)नियम/डीएलबी/15/15012 दिनांक 12.05.17 द्वारा भी सभी नगरीय निकायो को उपरोक्त धारा 69-ए के अन्तर्गत विरचित नियम, 2015 के अन्तर्गत पट्टा प्राप्त करने हेतु आमजन की जानकारी में लाये जाने के प्रयोजनार्थ मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना शिविरो में प्रचार-प्रसार करने एवं ऐसे प्रकरणो का निस्तारण त्वरित गति से करने के निर्देश दिये गये थे।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-ए निम्नानुसार हैः-

"69-A. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of lease deed.- (1) Any person who holds non-agricultural land within the municipal area otherwise than under a lease or licence issued by the Municipality may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Municipality for the purpose of obtaining lease hold rights from the Municipality and the Municipality may accept such rights.

(2) On acceptance by Municipality of rights under sub-section (1), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Municipality and the Municipality shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue the holder lease of the said land.

(3) The lease issued under sub-section (2) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Municipality of the rights under subsection (1) .".

उक्त नियम 2015 के नियम 8 के अन्तर्गत अधिसूचना कमांक 11263 दिनांक 24.09.2015 द्वारा लीज-डीड जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया गया हैः-

1. आवेदन पत्र का मूल्य रूपये 100/-
2. आवेदन पत्र मय दस्तावेज जमा करवाये जाते समय प्रोसेसिंग फीस (नॉन रिफण्डेबल):-
   - (i). 200 वर्गगज तक के लिये : रूपये 250/-
   - (ii). 201 वर्गगज से 1000 वर्गगज तक रूपये 1000/-
   - (iii). 1001 वर्गगज से 1000 वर्गगज तक रूपये 5000/-
   - (iv). 10001 से किसी भी सीमा तक के लिये रूपये 10000/-
3. लीज डीड जारी किये जाने हेतु कम संख्या 1 एवं 2 में वर्णित राशि के अतिरिक्त पृथक से 25 रूपये प्रति वर्गगज शुल्क देय होगा। परन्तु लिये जाने वाली अधिकतम राशि किसी भी सीमा तक क्षेत्रफल के लिये 2,50,000/- लाख रूपये (अक्षरे दो लाख पच्चास हजार रूपये) से अधिक नहीं होगी।

उक्त नियम, 2015 के नियम 9 से 11 में निम्न प्रावधान किया गया है:-

"9. Lease-deed.- After grant of permission under rule 6 and deposition of charges under rule 8, lease deed shall be executed by the Chief Municipal Officer and the Chairperson on behalf of the Governor of the State of Rajasthan in favour of person to whom permission is granted under rule 6 or in favour of his successors, assignees or transferees, as the case may be.

10. Tenure and terms and conditions of lease.- The lease granted under these rules shall be on the freehold basis in perpetuity with right of inheritance and alienation subject to such other terms and conditions as may be determined by the State Government, from time to time.

11. Documentary evidence.- For every freehold lease granted under these rules a document evidencing the same shall be prepared in Form-7 which shall be signed for and on behalf of Governor of the State of the Rajasthan by the Chairperson and Chief Municipal Officer of the Municipality, and shall be duly stamped and registered at the expense of the leasee."

विभाग की जानकारी में लाया गया है कि नगर निकायो में धारा 69-ए के काफी संख्या में प्रकरण विचाराधीन चल रहे है, जिन पर नगर निकायो द्वारा निर्णय नहीं लिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया है। धारा 69-ए के तहत मुख्यतः यही देखा जाना है कि भूमि जिसे सम्पर्ण कर पट्टा चाहा जा रहा है, वह भूमि नियम 3 में वर्णित निर्बन्धो में नही होनी चाहिए। नगर निकायो में धारा 69-ए के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन की संख्या, उन पर की गई कार्यवाही एवं लम्बित रहने के कारणो को स्पष्ट करते हुए उनकी सूची 10 दिवस में निम्न प्रोफार्मा में भिजवाई जावेः-

क.स.	प्राप्त आवेदनो का विवरण	कीगई कार्यवाही का विवरण	लम्बित रहने का कारण	विशेष विवरण यदि कोई हो तो

अतः उपरोक्त धारा 69-ए के अन्तर्गत विरचित नियम 2015 एवं इसके अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओ को दृष्टिगत रखते हुये उक्त नियमो के अन्तर्गत पट्टा प्राप्त करने हेतु आम-जन की जानकारी में लाये जाने के प्रयोजनार्थ प्रचार-प्रसार किया जाकर अधिक से अधिक संख्या में ऐसे प्रकरणो का निस्तारण अभियान के दौरान एम्पावर्ड कमेटी के माध्यम से त्वरित गति से किया जावे। मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना अभियान समाप्त होने के पश्चात् भी ऐसे प्रकरणो का निस्तारण किया जावे ताकि आम-जन को लाभ प्राप्त हो सके।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(12)/नियम/डीएलबी/15/32931-32678 दिनांक 20/12/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
5. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग को भेजकर लेख है कि आपके आधीनस्थ निकायो से वांछित सूचना 10 दिवस से भिजवाना सुनिश्चित

करावें साथ ही सभी नगरीय निकायो के लम्बित प्रकरणो का शीघ्र निस्तारण करावें।

6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी